## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 119 / 2024
जीसीएमएस ऑनलाईन नंबर 2024 / 254

निर्णय दिनांक 26.09.2024

लक्ष्मणसिहं पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम शेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर। —वादी—

**बनाम**

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर। —प्रतिवादी—

उपस्थितिः—
1. **श्री बृजेश पुरोहित अभिभाषक वादी**
2. **पैरोकारराज स्टेट की ओर से।**

**वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व 136 एलआर एक्ट**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के पिता अमरसिंह पुत्र शिवनाथसिंह की खातेदारी के खेत खसरा नंबर 111 तादादी 54 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 578 तादादी 65 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 692 तादादी 36 बीघा 7 बिस्वा व खसरा नम्बर 998 तादादी 19 बीघा 8 बिस्वा वाकेरोही शेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित रहे हैं। वादी के पिता अमरसिंह की मृत्यु हो चुकी है जिसका एकमात्र वारिस वादी ही हुआ है। वादी के पिता अमरसिंह की मृत्यु के बाद उपरोक्त खसरान भूमि की खातेदारी विरास्तन तौर पर जरिये इन्तकाल संख्या 645 दिनांक 02.07.1977 के द्वारा वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गई। कालान्तर में वादी ने खसरा नम्बर 111, 692, 9988 की कृषि भूमि को विक्रय कर दिया। खसरा नम्बर 578 के नये खसरा नम्बर 747 तादादी 16.5900 हैक्टेयर कायम हो गये जो आज भी बदस्तूर वादी के नाम चला आ रहा है। उपरोक्त खसरा भूमि की खातेदारी वादी के नाम अमरसिंह की मृत्यु के बाद जरिये विरास्तन इन्तकाल संख्या 645 के जरिये दर्ज हुई है। विरास्तन इन्तकाल दर्ज करते समय वादी का बोलता नाम लिछमणसिंह दर्ज कर दिया गया। विरास्तन इन्तकाल दर्ज करने के समय आईडियों का (पहचान पत्रों का) चलन नहीं था इसलिए वादी से किसी प्रकार की कोई आईडी(पहचान पत्र) नहीं ली गई और वादी का बोलता नाम लिछमणसिंह दर्ज कर दिया गया जबकि वादी का सही व दस्तावेजी नाम लक्ष्मणसिंह पुत्र अमरसिंह है। वादी अनपढ़ व ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है जिसे अपने घर, परिवार, समाज व गांव में लक्ष्मणसिंह के नाम से जाना व पुकारा जाता है वादी के पिता अमरसिंह की मृत्युपरांत विरास्तन इन्तकाल संख्या 645 दर्ज करते समय वादी का बोलता नाम लिछमणसिंह दर्ज कर दिया गया, जबकि वादी के तमाम सरकारी दस्तावेज राशन कार्ड, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि में वादी का नाम लक्ष्मणसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत निवासी शेरूणा अंकित चला आ रहा है यानि वादी का सही व वास्तविक व रिकॉर्ड अनुसार नाम लक्ष्मणसिंह है। वादी को जब उपर्युक्त खसरा की भूमिपर के.सी.सी. बनाने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क किया व इन्तकाल, जमाबंदी, मिलान क्षेत्रफल आदि की नकलें दिन[illegible].06.2024 को निकलवाई तो वादी को जानकारी हुई कि वादी के पैतृक [illegible] खसरा नम्बर 747 तादादी 16.5900 हैक्टेयर वाकेरोही शेरूणा के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का [illegible] रूप से लिछमणसिंह अंकित कर रखा है जबकि वादी का सही व वास्तविक व प्रशासनिक नाम शुरू से ही लक्ष्मणसिंह रहा है जिसको वादी राजस्व रिकॉर्ड में घोषि[illegible] करवाकर शुद्धि करवाने का अधिकारी है। वादी का शुरू से ही नाम लक्ष्मणसिंह चला आ रहा है, केवल राजस्व रिकॉर्ड लिछमणसिंह अंकित हो गया है। वादी के अन्य तमाम दस्तावेजों में लक्ष्मणसिंह अंकित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.10.09 12:22:08 IST
Reason: SelfAttested

खण्ड अधिकारी
ंगरगढ (बीकानेर)

उपरोक्त सभी दस्तावेजातों की प्रमाणित प्रतियां अवलोकनार्थ श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। यह है कि गांव शेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ में लिछमणसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत के नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। वर्णित खसरा भूमि पर वादी का ही कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा है इसलिए वादी उपरोक्त खसरा की भूमि में अपना सही नाम लक्ष्मणसिंह अंकित करवाने का कानूनन अधिकारी है। उपरोक्त खसरा भूमि में वादी का गलत नाम लिछमणसिंह अंकित होने के कारण वादी को उपरोक्त खसरा भूमि पर के.सी. सी. बनाने, ट्यूब बनाने व अन्य कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वादगत खेत में वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकित कर दिया गया है, इस बाबत् वादी ने दिनांक 12.06.2024 को प्रतिवादी से निवेदन किया कि मेरा नाम लक्ष्मणसिंह है जबकि वादगत खसरा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के तौर पर मेरा नाम लिछमणसिंह अंकित कर दिया गया है जबकि मेरे अन्य तमाम दस्तावेजात मेरा सही नाम लक्ष्मणसिंह अंकित चला आ रहा है उस हिसाब से दुरूस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में घोषित कर देवें तो प्रतिवादी ने वादी को कहा कि आप सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ, बिना आदेश के राजस्व रिकॉर्ड में घोषित करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। ऐसी स्थिति में वादी के पास रिकॉर्ड दुरूस्ती हेतु व अपने सही नाम की घोषणा हेतु यह घोषणात्मक दावा श्रीमान् जी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। खेत खसरा नम्बर 747 तादादी 16.5900 हैक्टेयर वाकेरोही शेरूणा में वादी का नाम लिछमणसिंह गलत अंकित चला आ रहा है जिसकी दुरूस्ती करवाने का वादी अधिकारी है परन्तु प्रतिवादी ने उक्त शुद्धि करने से स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया। इन्कारी की दिनांक से वादी को वाद हेतु हासिल है व वादाधिकार वादी की पैतृक खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि होने से प्राप्त है। दावा घोषणात्मक एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती का है। दावा में स्टेट आवश्यक पक्षकार है स्टेट को पक्षकार बनाये जाने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है। दावा आवश्यक प्रकृति का है, अगर स्टेट को दो माह का नोटिस देकर दावा प्रस्तुत किया गया तो वादी को भारी क्षति होगी। यानि वादगत खेत में वादी का नाम गलतअंकित होने से वादी को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इसलिए तुरन्त दावा पेश कर शुद्धिकरण करवायाजाना आवश्यक हो गया है। स्टेट के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने हतु अलग से धारा 80 (2) सी.पी.सी. के तहत् प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय से छूट प्राप्त कर ली गई है। वादगत खेत वाकेरोही शेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है इसलिए दावा सुनने का श्रीमान् जी को क्षेत्राधिकार हासिल है तथा दावा हर प्रकार से समयावधि के भीतर पूर्ण कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वादी का दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

(क) कि प्रतिवादी को यह आदेशित किया जावे कि वो वादगत खेत खसरा नम्बर 747 तादादी 16.5900 हैक्टेयर वाकेरोही शेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम गलत रूप से लिछमणसिंह पुत्र अमरसिंह अंकित कर रखा है उसके स्थान पर उसका सही नाम लक्ष्मणसिंह पुत्र अमरसिंह घोषित किया जावे व इसकी पालना प्रतिवादी से करवाई जावे।

(ख) कि वादगत खसरा नंबर 747 तादादी 16.5900 हैक्टेयर वाकेरोही शेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में चले आ रहे गलत नाम लिछमणसिंह की जगह लक्ष्मणसिंह अंकित किया जाकर दुरूस्त किए जाने का आदेश प्रतिवादी के नाम जारी किया जावे और उसकी पालना प्रतिवादी से करवाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.10.09 12:22:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

ग) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो अथवा दौराने दावा हितकर वादी हो जावे वह भी आज्ञाप्त फरमाया जावे।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से पैरोकारराज ने जवाब दावा पेश किया गया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

## निर्णय

खेत खसरा नम्बर 747 तादादी 16.5900 हैक्टेयर वाकेरोही शेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम लिछमणसिंह पुत्र अमरसिंह अंकित कर रखा है उसके स्थान पर सही नाम लक्ष्मणसिंह पुत्र अमरसिंह घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

**निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।**

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.10.09 12:22:08 IST
Reason: SelfAttested

# अन्तिम डिक्री मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी उमा मित्तल आरएएस

**उनवान**

लक्षमण सिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत निवासी शेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

—वादी—

**बनाम**

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

—प्रतिवादी—

मुकदमा नम्बर 119/2024
दावा बाबतः घोषणात्मक व रिकॉर्ड दुरूस्ती
निर्णय दिनांकः 26.09.204

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री बृजेश पुरोहित अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व पैरोकारराज स्टेट की ओर से मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है **कि खेत खसरा नम्बर 747 तादादी 16.5900 हैक्टेयर वाकेरोही शेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम लिछमणसिंह पुत्र अमरसिंह अंकित कर रखा है उसके स्थान पर सही नाम लक्ष्मणसिंह पुत्र अमरसिंह घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।**

लीज....0.....मुबलिग.....0.....बाबत.....0.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी.....तारीख वसूलयाबी.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 26 माह 09 सन् 2024 को जारी किया गया ।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ

वाद के खर्चे

| वादी | | प्रतिवादी | |
|---|---|---|---|
| | रूपया | | रूपया |
| 1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प | 0 | 1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | 0 |
| 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | 0 | 2. अर्जी के लिए स्टाम्प | 0 |
| 3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प | 0 | 3. प्लीडर की फीस | 0 |
| 4.....रूपये पर प्लीडर की फीस | 0 | 4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता | 0 |
| 5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता | 0 | 5. आदेशिका की तामिल | 0 |
| 6.कमिश्नर की फीस | 0 | 6. कमिश्नर की फीस | 0 |
| 7.आदेशिका की तामिल | 0 | | |
| योग | 0 | योग | 0 |

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.10.09 12:22:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ